चुनाव अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः–प.13(2)साप्र/2/2013 जयपुर, दिनांकः 16/10/2020

– : आदेश :–

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के तहत राज्य में जयपुर, जोधपुर एवं कोटा में नगर निगम आम चुनाव माह अक्टूबर–नवम्बर, 2020 (संलग्न सूची अनुसार) पूर्ण कराये जाने से संबंधित प्राप्त पत्र मूल ही संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। चुनाव दो चरणों में सम्पन्न होगा। प्रथम चरण चुनाव दिनांक 29.10.2020 (गुरूवार) तथा द्वितीय चरण चुनाव दिनांक 01.11.2020 (मंगलवार) को होने के कारण आदर्श आचार संहिता भाग–7 की पालना सुनिश्चित करने का श्रम करें:–

1. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेगें। केवल ऐसी स्थिति में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण संबंधित विभाग के माननीय मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहां उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जावेगी।
2. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहें तो सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करें और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते है तो उस पर सायरन आदि का प्रयोग नहीं करें।
3. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहें तो चुनाव से संबंधित अधिकारियों को नहीं बुलाऐं।
4. माननीय मंत्री गण जब चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहें वहां स्थित विश्राम गृह, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित कोई बैठक करने की दृष्टि से नहीं करें।
5. सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जावेगी, लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे।
6. निर्वाचन से जुडे सरकारी अधिकारी, माननीय मंत्रीगण के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकॉल में नहीं जायेगें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. प्रमुख सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त सचिव (जीबी), मुख्यमंत्री कार्यालय।
8. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
9. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
10. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 8318 दिनांक 11.10.2020 के क्रम में।
11. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव गण।
12. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि चुनाव विभाग से प्राप्त निर्देशो की पालना को सुनिश्चित करावें।
13. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
14. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
15. संभागीय आयुक्त, जयपुर, जोधपुर एवं कोटा।
16. जिला कलक्टर्स (जिला निर्वाचन अधिकारी), जयपुर, जोधपुर एवं कोटा।
17. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
18. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
19. आयुक्त, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
20. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान/समस्त निगम/मण्डल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।
21. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–1, 3, 4, 5, 6) विभाग/सम्पदा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
22. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन(ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय,जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
23. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

227

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
प्र. संख्या : 2235
दिनांक : 14/10/2020

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email:secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ.4(1)(1)/नपा/रानिआ/2020/8318 — दिनांकः 11.10.2020

कार्यालय शासन सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग एवं
प्रबंधन सचिवालय
डायरी क्रमांक 391
दिनांक 12/10/20

शासन सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :– नगर निगम आम चुनाव अक्टूबर–नवम्बर, 2020 – आदर्श आचरण संहिता की पालना बाबत्।

महोदय,

आयोग द्वारा जयपुर जिले की नगर निगम जयपुर हैरिटेज एवं जयपुर ग्रेटर, जोधपुर जिले की नगर निगम जोधपुर उत्तर एवं जोधपुर दक्षिण तथा कोटा जिले की नगर निगम कोटा उत्तर एवं कोटा दक्षिण के आम चुनाव दो चरणों में करवाये जाने हेतु चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। चुनाव कार्यक्रम की प्रति संलग्न है।

घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में लागू हो गये हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे। अतः आदर्श आचरण संहिता के भाग–7 की पालना सुनिश्चित करवायी जावे। आदर्श आचरण संहिता की पालना हेतु निम्नांकित बिन्दुओं पर भी राजकीय आदेश प्रसारित करना वांछनीय है :–

1. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेंगे। केवल ऐसी स्थिति में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण संबंधित विभाग के माननीय मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहां उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जावेगी।
2. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहें तो सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करें और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते हैं तो उस पर सायरन आदि का प्रयोग नहीं करें।
3. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहें तो चुनाव से संबधित अधिकारियों को नहीं बुलाऐ।
4. माननीय मंत्री गण जब चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहें वहां स्थित विश्राम गृह, डाक बंगलो या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित कोई बैठक करने की दृष्टि से नहीं करें।
5. सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जावेगी, लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे।
6. निर्वाचन से जुडे सरकारी अधिकारी, माननीय मंत्रीगण के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकॉल में नहीं जायेंगे।

उपरोक्तानुसार निर्देश प्रसारित कर आयोग को भी अवगत करावें।

SS GAD
Controller SMG,
12/10/2020

संलग्नः– 1. चुनाव कार्यक्रम
2. आदर्श आचरण संहिता की पुस्तिका

आज्ञा से,
(श्याम सिंह राजपुरोहित)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकः एफ.4(1)(1)/नपा/रानिआ/2020/8319 — दिनांकः 11.10.2020

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) जयपुर, जोधपुर एवं कोटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अशोक कुमार जैन)
उपसचिव

AS-2
SO/Yogita 12/10/20
14/10/2020

228

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

नगर निगम आम चुनाव माह अक्टूबर–नवम्बर, 2020

चरणवार आम चुनाव कार्यक्रम

➢ **सदस्य के लिए**

1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	14.10.2020 (बुधवार)
2.	नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	19.10.2020 (सोमवार) प्रातः 10.30 से अपराह्न 3.00 बजे तक (सार्वजनिक अवकाश दि. 18.10.2020 को छोडकर)
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि एवं समय	20.10.2020 (मंगलवार) प्रातः 10.30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की अंतिम तिथि	22.10.2020 (गुरूवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5.	चुनाव चिन्हों क आवंटन की तिथि एवं समय	23.10.2020 (शुक्रवार) प्रातः 10.30 बजे से
6.	मतदान की तिथि एवं समय (मतदान यदि आवश्यक हुआ तो)	
	प्रथम चरण के लिए	29.10.2020 (गुरूवार) प्रातः 7.30 बजे से सांय 5.30 बजे तक
	द्वितीय चरण के लिए	01.11.2020 (रविवार) प्रातः 7.30 बजे से सांय 5.30 बजे तक
7.	मतगणना	03.11.2020 (मंगलवार) प्रातः 9.00 बजे से

➢ **महापौर के लिए**

1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	04.11.2020 (बुधवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने का प्रथम दिन	04.11.2020 (बुधवार) प्रातः 10.30 से अपराह्न 3.00 बजे तक
3.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि एवं समय	05.11.2020 (गुरूवार) प्रातः 10.30 से अपराह्न 3.00 बजे तक
4.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	06.11.2020 (शुक्रवार) प्रातः 10.30 बजे से
5.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि	07.11.2020 (शनिवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
6.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	07.11.2020 (शनिवार) (अभ्यर्थिता वापिस लेने की समय समाप्ति के तुरन्त पश्चात्)
7.	मतदान की तिथि एवं समय	10.11.2020 (मंगलवार) प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक
8.	मतगणना की तिथि एवं समय	10.11.2020 (मंगलवार) मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्

➢ **उप महापौर के लिए**

1.	निर्वाचन की तिथि	11.11.2020 (बुधवार)
2.	निर्वाचन प्रक्रिया हेतु समय–सारणी	
	बैठक का प्रारम्भ	प्रातः 10.00 बजे
	नामांकन पत्रों का प्रस्तुतिकरण	प्रातः 11.00 बजे तक
	नामांकन पत्रों की संवीक्षा	प्रातः 11.30 बजे से
	अभ्यर्थिता वापसी	अपराह्न 2.00 बजे तक
	मतदान यदि आवश्यक हुआ तो	अपराह्न 2.30 बजे से 5.00 बजे तक
	मतगणना	मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्

10/10

229

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

नगर निगम आम चुनाव माह अक्टूबर–नवम्बर, 2020

चरणवार नगर निगम की सूची

क.सं.	जिले का नाम	नगर निगम का नाम	वार्ड संख्या	मतदान केन्द्रों की कुल संख्या
प्रथम चरण				
1.	जयपुर	जयपुर हैरिटेज	100	1581
2.	जोधपुर	जोधपुर उत्तर	80	625
3.	कोटा	कोटा उत्तर	70	555
योग			250	2761
द्वितीय चरण				
1.	जयपुर	जयपुर ग्रेटर	150	2048
2.	जोधपुर	जोधपुर दक्षिण	80	540
3.	कोटा	कोटा दक्षिण	80	623
योग			310	3211
महायोग			560	5972

10/10/20

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान